... पेश दिनांक 10.1.17 को पेशी

तहसीलदार, मेड़ता
(नागौर-राजस्थान)

10.1.17

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल सुरजकरण उपस्थित।
मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि
पटवारी हल्का भुंगदण्ड ने भू०अभि० मेड़ता से एक
सत्यापित रिपोर्ट पेश की है कि मौजा बीजासर की गनी
के ख०न० 263 रकबा 0.015 है० गैर मुमकिन रास्ता पर
सुरजकरण पुत्र चौथाराम जाति जाट ने पक्का मकान
बनाकर अवैध अतिक्रमण किया है।
इस पर गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 LR Act के तहत
प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। और
सायल तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ और जवाब पेश किया है
जो शामिल मिसल है।

सुरजकरण

चूंकि धारा 16 RTAct के तहत रास्ता प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में होने से गैर मालक को आवंटन / नियमन नहीं किया जा सकता। रास्ता सार्वजनिक प्रयोग में आता है जिसके कारण अप्रार्थी को मुतनाजा भूमि से हटाया जाना उचित होगा।

अतः गैर मालक को मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर भूमि से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण हेतु लगान 0.12 का 50 गुणा से रूपये 6/- अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है।

पटवारी हल्का व रीमार्क सूचित हो। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

वर्ष 2016-17 ... दफ्तर 6 ...
बैं. 4 कैप. क्र. सं. ...3 ... पर दर्ज की
(हस्ताक्षर)
सहायक राजस्व लेखाकार, मेड़ता

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार, मेड़ता
(नागौर-राजस्थान)